

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना
संवर्द्ध- वाहन चालक
पदनाम- वाहन चालक

वर्ष-2022-23

८१

क्रमसंख्या	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हाँ/नहीं)	प्रत्यावेदन (स्थीकृत/अस्थीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री संजय सिंह	कृष्णगढ़संज्या, पिथौरागढ़	नहीं	-		
2.	श्री गोविन्द सिंह नेगी	कृष्णगढ़संज्या, धुमकोट	नहीं	-		
3.	श्री महेन्द्र सिंह	कृष्णगढ़संज्या, सतानी	नहीं	-		
4.	श्री राजकिशोर	कृष्णगढ़संज्या, अगस्तमुनि	हाँ			
5.	श्री हर्षपद्दन	मुङ्कुआ०, लोदप्रयाग	नहीं	-	1. मुख्य कृषि अधिकारी, लोदप्रयाग 2. कृषि एवं शूमि संरक्षण अधिकारी, अगस्तमुनि 3. कृषि एवं शूमि संरक्षण अधिकारी, कणप्रयाग, चमोली	

दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पत्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग- वाहन चालक
पदनाम- वाहन चालक

वर्ष-2022-23

क्र० सं	पत्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	बोझित रहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधिक	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री राजकिशोर	कृष्णगढ़ संसदीय नगर, अगरतामुनि	24.05.22	30.05.22	यथावत बाये रखने का अनुरोध किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-2 के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम हेतु पत्र कार्मिक दुर्गम के किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु निजी अनुरोध कर सकता है।	

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

७५

संवर्ग— वाहन चालक

पदनाम— वाहन चालक

वर्ष-2022-23

क्रमांक	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हाँ/नहीं)	प्रत्यावेदन (स्थीकृत/अस्थीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवेदित विकल्प
1.	श्री तेजवीर सिंह	कृष्णपुरसोआ०, बहादरबाद	नहीं	—		
2.	श्री पदम सिंह	मुकुरआ०, हरिद्वार	नहीं	—		
3.	श्री कान्ती वल्लभ शर्मा	कृष्णपुरसोआ०, हल्द्वानी	नहीं	—		
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह शर्मा	कृष्णपुरसोआ० दिहरी	नहीं	—		
5.	श्री धन सिंह	मुकुरआ०, उत्तराखण्ड	नहीं	—		
6.	श्री राजदत्त शर्मा	मुकुरआ०, नैनीताल	नहीं	—		